# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

आबकारी तथा कराधान विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 27 जुलाई, 2018

**संख्या 63/जीएसटी–2.–** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप–धारा (1), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5) और धारा 16 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 7 के सामने,–

क. खाना (3), (4) और (5) के नीचे, मद (i) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) किसी सेवा के द्वारा या उसके एक हिस्से के रूप में ऐसी वस्तुओं का प्रदाय जो ऐसे खाद्य–पदार्थ या अन्य वस्तुओं के रूप में हों जिसका मानव द्वारा भोज्य प्रदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या जो अन्य कोई पेय के रूप में हो, जिसे किसी रेस्टोरेन्ट, ईटिंग ज्वाइंट, जिनमें मैस, कैंटीन भी आते हैं, के द्वारा परोसा जाता हो, चाहे इनका उपभोग उसी परिसर में, जहां कि ऐसे खाद्य पदार्थ मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किए जाने वाली अन्य वस्तुएं या पेय का प्रदाय किया जा रहा हो, होता हो या उससे बाहर होता हो, उनसे भिन्न जो कि किसी होटल, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लबस, कैंप साइट्स या अन्य वाणिज्यिक स्थान के रूप में हैं, जिनका उपयोग आवास या ठहरने के स्थान के रूप में होता हो, जिनका ठहरने की किसी भी यूनिट का घोषित टैरिफ प्रति यूनिट प्रतिदिन सात हजार पाँच सौ रुपए और इससे अधिक या समतुल्य हो<br><br>**व्याख्या 1:** इस प्रविष्टि में किसी कैंटीन, मैस, कैफेटेरिया या किसी संस्था जैसे कि स्कूल, कालेज, अस्पताल, औद्योगिक इकाई, कार्यालय के भोजन वाले स्थान, में की | 2.5 | बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो। कृपया व्याख्या संख्या (iv) देखें] |

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| जाने वाला ऐसा प्रदाय भी शामिल है जो कि किसी ऐसी संस्था या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रदाय के लिए ऐसी संस्था के साथ हुए अनुबंध के तहत की जा रही हो, बशर्ते कि ऐसा प्रदाय उत्सव या समारोह आधारित न हो ।<br>**व्याख्या 2:** इस प्रविष्टि में वे प्रदाय नहीं आएंगे जो कि क्रम संख्या 7 (v) में उल्लिखित हैं ।<br>**व्याख्या 3:** "घोषित टैरिफ'' में ठहरने की यूनिट (जो कि किराए पर ठहरने के लिए दी गई हो) में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे कि फर्नीचर, एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या अन्य कोई सुविधा, पर लगने वाले सभी प्रभार भी आते हैं लेकिन ऐसी यूनिट पर प्रकाशित प्रभार पर दिए जाने वाले किसी 'डिस्काउंट' को शामिल नहीं किया जाएगा । | | |
| (ik) भारतीय रेल या भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड या उनके लाइसैंसियों के द्वारा गाड़ी में या प्लेटफार्म पर खाद्य पदार्थों की, जिनका मानव के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो, या किसी भी पेय का प्रदाय। | 2.5 | बशर्तें कि ऐसी सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट को न लिया गया हो । [कृपया व्याख्या संख्या (iv) देखें] |

ख. मद (ii), (vi) और (viii) में,–

(क) "टैरिफ घोषित" शब्द जहाँ कहीं भी आएं के स्थान पर, "प्रदाय का मूल्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) व्याख्या का लोप कर दिया जाएगा;

ग. खाना (3), (4) और (5) में, मद (v) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: –

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) किसी सेवा या उसके एक हिस्से के रूप में खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तुएं जिनका मानव द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग किया जाता हो या किसी पेय की किसी प्रदर्शनी हॉल, समारोह, सम्मेलन, मैरिज हॉल और अन्य आउटडोर/इनडोर समारोह में की जाने वाला प्रदाय, जो कि उत्सव या समारोह के अवसर पर होती हो । | 9 | –"; |

(ii) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3), (4) और (5) में, मद (vi) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: –

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) माल का बहु साधन द्वारा परिवहन<br>व्याख्या–<br>(1) "बहु साधन द्वारा परिवहन" से अभिप्राय है, बहु साधन परिवहनकर्ता द्वारा माल को उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तथा परिवहन के कम से कम दो भिन्न ढंगों द्वारा मालों का परिवहन;<br>(2) "परिवहन के साधन के प्रकार" से अभिप्राय है, माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतरर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किया जाना ;<br>(3) "बहु साधन परिवहनकर्ता" से अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति जो,–<br>(क) ऐसी संविदा करता है जिसके अधीन वह किराए के लिए बहुप्रकार के साधनों के द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;<br>(ख) बहु साधन परिवहन में प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी पारेषक या पारेषिती या किसी कैरियर भागीदारी के रूप में अभिकर्ता के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त संविदा को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो । | 6 | - |
| (vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं। | 9 | –"; |

(iii) क्रम संख्या 22 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्निलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : –

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | शीर्ष 9984 (दूरसंचार प्रसारण और सूचना आपूर्ति सेवाएं) | (क) केवल ई–बुक का प्रदाय<br>**व्याख्या–**<br>इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, ई–बुक्स् से अभिप्राय है, किसी मुद्रित पुस्तक (जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4901 के अंतर्गत आती है) के इलैक्ट्रानिक संस्करण का ऑनलाइन प्रदाय जिसे कंप्यूटर पर या हाथ में लेकर पढ़े जाने वाले उपकरण से पढ़ा जा सकता है । | 2.5 | - |
| | | (ii) उपरोक्त (i) से भिन्न दूरसंचार, प्रसारण और सूचना आपूर्ति सेवाएं; | 9 | –". |

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 27th July, 2018

**No. 63/GST-2.—** In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9, Sub-section (1) of Section 11, Sub-section (5) of Section 15 and Sub-section (1) of Section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

In the Table, -

(a) against serial number 7, in column (3)-

a. for item (i), and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(i) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, whether for consumption on or away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied, other than those located in the premises of hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of any unit of accommodation of seven thousand five hundred rupees and above per unit per day or equivalent;<br>***<u>Explanation 1</u>:*** This item includes such supply at a canteen, mess, cafeteria or dining space of an institution such as a school, college, hospital, industrial unit, office, by such institution or by any other person based on a contractual arrangement with such institution for such supply, provided that such a supply | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)] |

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| is not event based or occasional.<br>***Explanation 2***:This item excludes the supplies covered under the Serial No. 7 (v)<br>***Explanation 3:***"declared tariff" includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit. | | |
| (ia) Supply, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, by the Indian Railways or Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms. | 2.5 | Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]"; |

b. in items (ii), (vi) and (viii),-

A. for the words "declared tariff", wherever occurring, the words "value of supply" shall be substituted;

B. the Explanation shall be omitted;

c. for item (v) and the entries thereagainst in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(v) Supply, by way of or as part of any service, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, at Exhibition halls, Events, Conferences, Marriage Halls and other outdoor/indoor functions that are event based and occasional in nature. | 9 | -"; |

(ii) against serial number 9, for item (vi), in column (3) and the entries thereagainst, under columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

| (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|
| "(vi) Multimodal transportation of goods.<br>***Explanation.-***<br>(a) "multimodal transportation" means carriage of goods, by at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods by a multimodal transporter;<br>(b) "mode of transport" means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;<br>(c) "multimodal transporter" means a person who,-<br>(A) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and<br>(B) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract. | 6 | - |
| (vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above. | 9 | -"; |

(iii) for serial number 22 and the entries thereagainst, the following shall be substituted, namely: -

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| "22 | **Heading 9984** (Telecommunications, broadcasting and information supply services.) | (i) Supply consisting only of e-book<br>***Explanation.-***<br>For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device. | 2.5 | - |
| | | (ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above. | 9 | -". |

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

56426—C.S.—H.G.P., Chd.